न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

अधिहरण वाद संख्या–08/2018–19

राज्य बनाम कृष्ण कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
25.06.2021	**आदेश** प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1384/वि0शा0 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा बेलदौर थाना कांड संख्या–31/2018, दिनांक 25.02.2018, धारा–30ए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल वाहन संख्या–BR34A-9296 का बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया। पुलिस निरीक्षक कार्यालय गोगरी अंचल के प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2018 के अनुसार दिनांक 25.02.2018 को वादी अपने सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती में थे। उसी समय थानाध्यक्ष के ,रा गुप्त सूचना मिली कि एक मोटर साईकिल सवार देशी शराब लेकर फरेवाबासा की ओर आ रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु फरेबाबासा की ओर जाने वाली सड़क में एकान्त जगह पर उक्त मोटर साईकिल सवार आने का इन्तजार करने लगे। कुछ ही समय में एक मोटर साईकिल सवार फरेबाबासा की ओर से आ रहा था जिसे पुलिस बल के सहयोग से व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर वे अपना–अपना नाम– रंजीत शर्मा पे0–स्व0 धनिकलाल शर्मा साकिन–फरेवाबासा थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया बताये। दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उक्त स्थल पर खड़े मोटर साईकिल वाहन संख्या–*BR34A-9296* पर एक बोरा में रखा 200 एम0एल का पाउच कुल–50.00 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन के चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध बेलदौर थाना कांड संख्या–31/2018 दिनांक 25.02.2018 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। चूँकि अवैध शराब/मादक द्रव्य/नशीली पदार्थ की खरीद– बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा–58 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई। अवैध रूप से शराब के खरीद–बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप में उक्त व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा कारण–पृच्छा किया गया। उक्त के आलोक में वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हुए। विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया का कथन है कि जप्त मोटर साईकिल वाहन संख्या–BR34A9296 पर एक बोरा में 200 एम0एल0 का पाउच कुल–50.00 लीटर देशी शराब पुलिस बल के द्वारा बरामद किया गया। इस वाद में वाहन स्वामी को अपना पक्ष रखने हेतु कई अवसर दिया गया, किन्तु वाहन स्वामी को अब और अवसर नहीं दिया जा सकता है। चूँकि जप्त वाहन पर से एक बोरा में 200 एम0एल0 का पाउच कुल–50.00 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन चौर्य व्यापार एवं भंडारण प्रतिबंध है। इस तरह, उक्त मोटर साईकिल वाहन संख्या–BR34A-9296 को बिहार मद्यनिषेध	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 के अंतर्गत राज्यसात करने का पर्याप्त आधार है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है। Section 13 : **Prohibition of liquor or intoxicants –** No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or **consume any intoxicant or liquor.** बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित किया गया है। Section 30 : **Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.-** Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act- (oo) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 में अधिहरण की जा सकने वाले सामानों का उल्लेख किया गया है :– (क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब सामग्री, भभका (स्टिल), बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो; (ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढ़ंग से आयात की ब गयी, ढ़ोयी गयी विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नशीली वस्तु या शराब; (ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो; (घ) उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन; (ङ) कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद, खगड़िया के तर्कों को सुना, एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त मोटर साईकिल वाहन संख्या–BR34A-9296 पर ऐ बोरा में रखा 200 एम0एल0 का 200 पाउच कुल–50.00 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। नोटिस निर्गत के बाद भी वाहन स्वामी की अनुपस्थिति कारित अपराध स्वीकार्य है। जप्त वाहन से बरामद देशी शराब जो व्यापारिक उदेश्य प्रमाणित किए जाने हेतु प्रर्याप्त आधार है। माननीय उच्च	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेशों में भी निदेशित है कि बरामद शराब की व्यापारिक मात्रा को देखते हुए जप्त वाहन का राजसात किया जाए। अतः निम्न आदेश दिया जाता है:–

1.इस अपराध में प्रयुक्त मोटर साईकिल वाहन संख्या–BR34A-9296 जप्त कर बेलदौर थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 (संशोधित अधिनियम– 2018) की धारा–58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी विक्री किया जाय।

2.जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे बेलदौर थाना में जप्त मोटर साईकिल वाहन संख्या– BR34A-9296 को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे।

3.अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि–रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष ~~चौथम~~ बेलदौर एवं संबंधित प्रतियादी को भेजें। तथा आदेश की एक प्रति जिला के वेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, 25/6/21
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

समाहर्त्ता, 25/6/21
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञा० संख्या 154 / विधि दिनांक 03/07/21
प्रतिलिपि :- उत्पाद आयुक्त, बिहार पटना / पु० अ० खगड़िया / जि० परि० पदा० खगड़िया / थानाध्यक्ष उत्पाद अधीक्षक खगड़िया / थानाध्यक्ष बेलदौर / जिला सू० वि० पदा० खगड़िया को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, खगड़िया।
3/7/21

[illegible]

[illegible]